(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 160 नई दिल्ली 6 अगस्त 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, मुरूगांव पत्तन न्यास में बर्थ सं. 5क और 6क में इसके परिचालनों के लिए एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के मामले में 3 नवम्बर 2010 को इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/12/2010–एसडब्ल्यूपीएल की समीक्षा के लिए साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) द्वारा दाखिल किए गए आवेदन का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2011–एसडब्ल्यूपीएल

साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड — — — — आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2011 के 26 वें दिन पारित)

यह मामला मुरूगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) में बर्थ सं. 5क और 6क में इसके परिचालनों के लिए एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के मामले में 3 नवम्बर 2010 को इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/12/2010–एसडब्ल्यूपीएल की समीक्षा के लिए साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) द्वारा दाखिल किए गए आवेदन से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने एमओपीटी में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं. 5क और 6क के लिए इसके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए 3 नवम्बर 2010 को एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश राजपत्र सं. 348 द्वारा 30 दिसम्बर 2010 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.2. उक्त आदेश द्वारा, 2010–11 से 2012–13 अवधि के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष स्थिति के आधार पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा मांग की गई प्रशुल्क में 32 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर प्रशुल्क में 9.5 प्रतिशत की अक्रॉस द बोर्ड कटौती की गई थी।

3.1. एसडब्ल्यूपीएल ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी 2011 द्वारा अनुरोध किया था कि उक्त आदेश में सुविचारित कुछ अनुमानों की समीक्षा की जाए।

3.2. मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.3.1 विनिर्दिष्ट करता है कि किसी प्रशुल्क आदेश की समीक्षा के आवेदन तभी विचार किया जाएगा जब प्रासंगिक कार्यवाहियों में सुविचारित अभिलेखों में कोई त्रुटि दिखाई दे, बशर्ते आवेदन भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया गया हो। संदर्भित प्रशुल्क आदेश 30 दिसम्बर 2010 को अधिसूचित किया गया था और एसडब्ल्यूपीएल ने समीक्षा आवेदन 28 जनवरी 2011 को दाखिल किया गया था जो 30 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर है।

3.3. समीक्षा के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कही गई मुख्य बातों को इस आदेश के बाद वाले भाग में विस्तार से दिया गया है। समीक्षा के लिए उठाए गए मुख्य मुद्दे निम्नवत् हैं:

- (i). मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अनुमान
- (ii). परिचालन और लेबर लागत के अनुमान
- (iii). नियोजित पूंजी में प्रस्तावित संवर्धन
- (iv). भविष्य अधिशेष, यदि कोई हो, का समायोजन
- (iv). भंडारण आय

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल से प्राप्त समीक्षा आवेदन दिनांक 28 जनवरी 2011 और संप्रेषण दिनांक 2 फरवरी 2011 की प्रतियां एमओपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थीं। एमओपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां एसडब्ल्यूपीएल को प्रतिपुष्टि सूचना रूप में अग्रेषित की गई थीं। इस संबंध में एसडब्ल्यूपीएल से हमें कोई अभियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 29 जून 2011 को टीएएमपी कार्यालय, मुम्बई में आयोजित की गई थी। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने समीक्षा आवेदन का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी ने निम्नलिखित निवेदन किए थे:

<u>साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड</u>

- (i). कार्गो प्रहस्तन क़रार:
  - (क). अब हमने क़रार के लिए किए गए भुगतानों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं।
  - (ख). आयकर निर्धारण द्वारा आमर्स लैंथ रिलेशनशिप भी स्थापित किया गया है।
- (ii). मरम्मत और अनुरक्षण लागत:
  - (क). हमारे उपस्कर बहुत पुराने हो रहे हैं। पूर्व व्यय भविष्य मरम्मत लागत का सही संकेतक नहीं हो सकता।

(ख). कृपया अभियांत्रिक उपस्करों की पूंजी का 7 प्रतिशत मरम्मत लागत रूप में स्वीकृत किया जाए। अपफ्रंट प्रशुल्क मामलों में यह परंपरा उपलब्ध है।

(iii). पूंजी व्यय के समायोजन के लिए टीएएमपी द्वारा उठाए गए कदम को हम स्वीकार करते हैं।

(iv). भंडारण आय के मामले में हमने हमारे समीक्षा अनुरोध पर पुनर्विचार किया है। हम टीएएमपी द्वारा लिए किए निर्णय को स्वीकार करते हैं।

(v). कृपया हमारे अनुरोध पर विचार करें और प्रशुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित करें।

मुरूगांव पत्तन न्यास

(i). हमारी लिखित टिप्पणियों पर विचार किया जाए।

6. तत्पश्चात, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने पत्र दिनांक 30 जून 2011 द्वारा बताया था कि हालांकि संयुक्त सुनवाई में वे उनके प्रशुल्क की समीक्षा पूर्वव्यापी प्रभाव से करने के लिए सहमत थे परन्तु , चर्चाओं के बाद पोत एजेंटों ने पोत संबंधित प्रभारों को वसूल करने और एसडब्ल्यूपीएल को भुगतान करने में अपनी मुश्किल के बारे में बताया था, और इसलिए प्रशुल्क में संशोधन केवल पूर्वव्यापी प्रभाव से करने का अनुरोध किया गया था।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। संबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इसके पूर्ववर्ती समीक्षा आवेदन में उठाए गए पांच बिन्दुओं में से, एसडब्ल्यूपीएल ने संयुक्त सुनवाई में अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के बाद वर्ष 2012–13 में परिगणित शिप लोडर पर पूंजी व्यय और इसके लेखा बहियों के अनुसार पूर्व अवधि में सुविचारित भंडारण आय पर इस प्राधिकरण के निर्णयों पर सहमति व्यक्त की थी। अतः एसडब्ल्यूपीएल ने प्रस्तावित समीक्षा आवेदन से इन दो बिन्दुओं को वापस ले लिया था। चूंकि एसडब्ल्यूपीएल का अंतिम समीक्षा आवेदन तीन मदों के मामले में है, इसलिए अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया विश्लेषण भी एसडब्ल्यूपीएल द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तावित तीन मदों तक सीमित किया गया है।

9. यहां पर यह बताना प्रासंगिक है कि इस मामले में की गई समीक्षा की कार्यवाही प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.3.1 के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल द्वारा उल्लिखित अभिलेख में दिखाई दी (तथ्यात्मक) त्रुटियों की सीमा तक है। यह पहले निर्णीत अन्य समीक्षा आवेदनों में इस प्राधिकरण द्वारा अनुसरित दृष्टिकोण के अनुसार है।

10. इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 के प्रासंगिक अनुच्छेदों का सार, समीक्षा आवेदन में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए निवेदनों का ब्योरा और उनपर हमारे विश्लेषण निम्नवत् हैं:

(i). **मरम्मत और अनुरक्षण लागत:**

क. **<u>प्राधिकरण का आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 [पैरा 13 (xi)]</u>**

वर्ष 2009–10 के लिए प्रतिवेदित वास्तविक मरम्मत और अनुरक्षण लागत इसके वार्षिक लेखों में रू0 371 लाख है। अभियंत्रीकृत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के 3 प्रतिशत पर सिविल कार्यों के सकल मूल्य पर 1.5 प्रतिशत पर विचार करते हुए, एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए क्रमशः 511 लाख, रू0 692 लाख और रू0 728 लाख की मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाया है। इसने बताया है कि उपस्कर के काफी पुराने होने की वज़ह से मरम्मत और अनुरक्षण लागत के बढ़ने की आशंका है।

यहां पर यह देखना प्रासंगिक होगा कि उपस्कर धीरे–धीरे पुराने होंगे और यह दर्शाने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं बताई गई है जिससे इस प्रशुल्क वैधता में तेजी तीव्र तरीके से होगी। इस सामान्य बयान को किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा लागत विश्लेषण द्वारा समर्थित नहीं किया गया है।

मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए मरम्मत और अनुरक्षण व्यय विशाखा कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, विज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, टीएम इंटरनेशनल लोजिस्टिक्स लिमिटेड आदि जैसे अन्य निजी टर्मिनलों के मामले में अनुसरित दृष्टिकोण के अनुसार पिछले वर्ष 2009–10 के लिए प्रतिवेदित वास्तविकताओं से 3.76 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि

लागू करते हुए अनुमानित की गई है। यही दृष्टिकोण अनुवर्ती वर्षों 2011–12 और 2012–13 के लिए भी अनुसरित किया गया है।

इस चक्र में सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों पर संवर्धनात्मक मरम्मत और अनुरक्षण लागत की देखभाल के लिए, मरम्मत और अनुरक्षण लागत सिविल परिसंपत्तियों पर 1 प्रतिशत और अभियांत्रिक उपस्कर और इस विश्लेषण में सुविचारित परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड में संशोधित परिवर्धनों के संदर्भ में अन्य परिसंपत्तियों के 2 प्रतिशत पर अनुमानित की गई है।

तदनुसार, मरम्मत और अनुरक्षण लागत का संशोधित अनुमानन वर्ष 2010–11 के लिए रु0 392 लाख, 2011–12 में रु0 408 लाख और 2012–13 में रु0 548 लाख होगा।

ख. <u>समीक्षा आवेदन में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निवेदन</u>

(क). मरम्मत और अनुरक्षण लागतें जो सिविल परिसंपत्तियों पर 1 प्रतिशत की दर से और अभियांत्रिक तथा अन्य परिसंपत्तियों पर 3 प्रतिशत की दर से एसडब्ल्यूपीएल और अन्य निजी टर्मिनलों के मामले में टीएएमपी द्वारा प्रक्षेपित की गई थीं। परन्तु अब, टीएएमपी ने वर्ष 2009–10 के लिए वास्तविक लागतों में 3.76 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर लागू करते हुए मौजूदा परिसंपत्तियों पर मरम्मत तथा अनुरक्षण लागतों को अनुमानों को संशोधित किया है और सिविल परिसंपत्तियों पर 1 प्रतिशत और अभियांत्रिक उपस्कर तथा प्रस्तावित 3 वर्षों के दौरान जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित अन्य परिसंपत्तियों पर 2 प्रतिशत की दर अंगीकृत की है।

(ख). टीएएमपी का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यनिर्धारण दृष्टिकोण के लिए लागत जमा दृष्टिकोण से मानक लागत दृष्टिकोण में जाना है। जब प्रारंभिक वर्षों के दौरान लागतें कम हो सकती हैं, बाद के वर्षों के दौरान लागतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी जब परिसंपत्तियां पुरानी हो जाएंगी और टूट–फूट की वजह से खराब हो जाएंगी।

(ग). पीपीपी परियोजना रूपी कोयला टर्मिनल में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए 26 फरवरी 2008 को टीएएमपी द्वारा अधिसूचित प्रतिमानकों के अनुसार, सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण सभी सिविल परिसंपत्तियों की लागत के 1 प्रतिशत और सभी अभियांत्रिक तथा बिजली उपकरणों की लागत के 7 प्रतिशत पर स्वीकृत की गई है। एसडब्ल्यूपीएल के टर्मिनल में अभियांत्रिक प्रहस्तन प्रणाली कोयला तथा ऐसे अन्य बल्क कार्गो जैसे कोक के प्रहस्तन के लिए है। एसडब्ल्यूपीएल ने मुख्यतः 2007–08 से 2009–10 अवधि के दौरान कोयले का प्रहस्तन किया है और 2010–11 एवं 2012–13 अवधि के लिए कार्गो अनुमानों का 80 प्रतिशत से ज्यादा कोयला है। परिचालन के दौरान नष्ट हुई कन्वेयर बैल्टों को बदलने की आवश्यकता है और इसे बदलने की लागत रु0 62 लाख है। एसडब्ल्यूपीएल ने इस संबंध में अक्तूबर 2010 में निकाले गए आदेश की प्रति अग्रेषित की है।

(घ). सम्पूर्ण अभियांत्रिक प्रहस्तन प्रणाली जो मुख्यतः कोयला तथा कोक का प्रहस्तन करती है, के पुराना होने की वजह से प्रमुख अनुरक्षण की आवश्यकता है। उपर्युक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क प्रस्ताव में परंपरागत तरीके से मरम्मतों तथा अनुरक्षण लागतों का अनुमान लगाया था और टीएएमपी से अनुरोध किया था कि अभियांत्रिक प्रहस्तन उपस्करों, जो केवल कोयला प्रहस्तन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय 2008 के टीएएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से स्वीकृत किया जाए।

ग. <u>विश्लेषणः</u>

(क). 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में दिए गए कुछ प्रतिमानकों का अनुसरण करने के एसडब्ल्यूपीएल के अनुरोध के संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एसडब्ल्यूपीएल का प्रशुल्क निर्धारण 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित है ना कि 2008 के दिशानिर्देशों द्वारा। 2008 के दिशानिर्देशों का खंड 1.3.1 और 1.3.2 विनिर्दिष्ट करता है कि दिशानिर्देश पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क अपफ्रंट प्रशुल्क सीमाएं निर्धारित करने के लिए लागू हैं जहां बोलियां 26 फरवरी 2008 के बाद आमंत्रित की गई हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौजूदा महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे निजी टर्मिनलों का प्रशुल्क निर्धारण 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किए जाते हैं। इस प्रकार, एसडब्ल्यूपीएल के मामले में मरम्मतों तथा अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाने के लिए ही 2008 के

दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों को लागू करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कही गई बात 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।

(ख). यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2004/2005 में जहां प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, निजी टर्मिनलों के प्रारंभिक प्रशुल्क निर्धारण के दौरान, एसडब्ल्यूपीएल सहित कुछ निजी टर्मिनलों के मामले में प्रशुल्क निर्धारण कार्यवाही में सिविल परिसंपत्तियों पर लगभग 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत और अभियांत्रिक तथा अन्य परिसंपत्तियों पर 3 प्रतिशत की दर से मरम्मत तथा अनुरक्षण लागतों का अनुमान लगाया गया था।

(ग). इन निजी टर्मिनलों के अनुवर्ती प्रशुल्क संशोधन में, जब वास्तविक व्यय उपलब्ध करवाया गया था, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत संशोधन के वर्ष से तत्काल पिछले वर्ष में प्रोद्भूत वास्तविक लागत और सकल प्रखंड में प्रस्तावित संवर्धनों पर वार्षिक वृद्धि लागू करते हुए अनुमानित की गई है, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत सिविल पर 1 प्रतिशत तथा अभियांत्रिक एवं अन्य परिसंपत्तियों पर 2 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गई है। यह दृष्टिकोण अन्य निजी टर्मिनलों में एकसमान रूप से लागू किया गया है।

एसडब्ल्यूपीएल के प्रशुल्क आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 में अनुमानित मरम्मत तथा अनुरक्ष्ज्ञण लागत भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित है, जैसाकि आदेश में पहले ही बताया गया है।

(घ). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कही गई बात कि अनुरक्षण लागत उपस्कर के पुराना होने के साथ–साथ अनुरक्षण लागत बढ़ती जाएगी, इसके पूर्ववर्ती निवेदनों का दोहराया जाना है। इस बिन्दु पर आदेश में पहले से ही कार्यवाही की गई है।

वर्ष 2010–11 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संदर्भित कन्वेयर बैल्ट को बदलने के लिए रु0 62 लाख का खरीद आदेश व्यय प्रतीत होता है, जिसका प्रभाव एक वर्ष से अधिक के लिए बिजनेस को मिलेगा। तथापि, व्यय की यह मद अगले प्रशुल्क समीक्षा/संशोधन चक्र में सुविचारित अनुमानों के साथ वास्तविक प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा के दौरान उपयुक्ततः परिगणित की जाएगी।

(ii). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागतः

क. आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 का प्रासंगिक भाग पैरा 13 (xiii) (ख)

(ख). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा भेजे गए आउटसोर्सिंग करार दिनांक 10 अप्रैल 2010 के अनुसार, परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए आउटसोर्सिंग दर कोक तथा कोयला प्रहस्तन के लिए रु0 40 प्रति टन और स्टील, कोयला तथा स्लैब के लिए रु0 90 प्रति टन है जबकि ये वर्ष 2009–10 की इसकी गणना में रु0 30.82 तथा रु0 75 प्रति टन की मौजूदा इकाई दर दर्शाए गए थे। इकाई दर में वृद्धि इस प्रकार कोयला के लिए 30 प्रतिशत और एचआर कोइलों के लिए 20 प्रतिशत है जो 3.76 प्रतिशत की स्वीकार्य वार्षिकवृद्धि के अधिक पाई गई है।

भेजी गई करार की प्रति को देखने पर, यह पाया गया है कि आउटसोर्सिंग करार जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो एसडब्ल्यूपीएल की समूह कम्पनियों में से एक है, के साथ किया गया है। हालांकि एसडब्ल्यूपीएल ने अन्य एजेंसियों की कोटेशन की प्रति भेजी है जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा उद्धरित दरों से ज्यादा है, इस संव्यवहार के आमर्स लैंथ रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कोई साक्ष्य नहीं भेजे जाने की स्थिति में, यह उपयुक्त नहीं पाया गया है कि इस मद के लिए इकाई दर में अत्यंत वृद्धि की अनुमति दी जाए।

वर्ष 2010–11 के लिए अनुमानित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2009–10 में प्रतिवेदित वास्तविक आंकड़ों में से आधार रूप में सीएचएलडी लेवी के लिए एमओपीटी को किए गए भुगतान को घटाकर लेते हुए संशोधित किया गया है और यातायात वृद्धि के लिए समायोजित किया गया है तथा 3.76 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि स्वीकार की गई है। यही दृष्टिकोण अनुवर्ती दो वर्षों के लिए परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत का अनुमान लगाने के लिए अनुसरित किया गया है।

ख. समीक्षा आवेदन में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए निवेदन

(क). एसडब्ल्यूपीएल ने विभिन्न ठेकेदारों को कार्गो प्रहस्तन परिचालन आउटसोर्स किए हैं। ठेकेदारों को ऑफर की गई प्रहस्तन दरें 2007 से 2010 अवधि के लिए निर्धारित किए गए थे और ठेकेदारों को कोई वृद्धि

ऑफर नहीं की गई थी जबकि डब्ल्यूपीआई 2007–10 के दौरान लगभग 20.5 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। प्रहस्तन दरें संशोधित आउटसोर्सिंग क़रार के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से संशोधित किया गया है।

(ख). टीएएमपी ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि एसडब्ल्यूपीएल ने कार्गो प्रहस्तन क़रार जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, के साथ किया था, क्योंकि उनके द्वारा उद्धरित दर अन्य प्रतिस्पर्धी एजेंसियों द्वारा उद्धरित दरों से कमतर है। परन्तु, इसके बावजूद, टीएएमपी ने इस संव्यवहार का आमर्स लैंथ रिलेशनशिप स्थापित करने के साक्ष्य के मांग करते हुए अप्रैल 2010 से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रोद्भूत की जा रही वर्धित कार्गो प्रहस्तन दरों की अनुमति नहीं दी है।

(ग). चूंकि किसी संव्यवहार की आमर्स लैंथ प्राइस के औचित्य के लिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें संव्यवहार के आमर्स लैंथ मूल्य के निर्धारण के लिए आयकर विभाग द्वारा अतुलनीय अनियंत्रित मूल्य (सीयूपी) पद्धति को सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है।

(घ). एसडब्ल्यूपीएल और जेएसडब्ल्यूआईएल के बीच सहमत दर की आमर्स लैंथ प्रकृति के समर्थन के लिए, विभिन्न असंबंधित, अनियंत्रित वेंडरों से उद्धरणों की प्रतियां एवं जयगढ़ पोर्ट के लिए एसडब्ल्यूपीएल तथा जेएसडब्ल्यूआईएल के बीच हुए कार्य आदेश की प्रतियां और विज़ाग पत्तन के लिए एसकेएस इस्पात तथा पावर एवं केआर सन्स प्रा0 लि0 के बीच हुए कार्य आदेश की प्रति एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन के साथ भेजी गई हैं। सामान्य संशोधन प्रस्ताव की कार्यवाहियों के दौरान, एसडब्ल्यूपीएल ने पत्र दिनांक 31 अगस्त 2010 द्वारा कुछ अन्य वेंडरों के आदेशों/कोटेशन की प्रतियां भी अग्रेषित की थीं।

(ङ). एसडब्ल्यूपीएल ने आगे बताया है कि एवाई 2008–09 के लिए एसडब्ल्यूपीएल का आयकर निर्धारण पूरा हो चुका है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 (जेएसडब्ल्यूआईएल) क़रार के मूल्यनिर्धारण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। इसने वर्ष 2008–09 के लिए आयकर निर्धारण आदेश भेजा है। एसडब्ल्यूपीएल और जेएसडब्ल्यूआईएल कुछ समान निदेशकों वाली निजी कम्पनियां होने के नाते कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 297क लागू है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा जेएसडब्ल्यूआईएल को दिया गया आदेश बाजार मूल्य पर है जिसे वार्षिक लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसकी प्रतियां टीएमएपी के पास उपलब्ध हैं। एसडब्ल्यूपीएल न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अदा करने वाली कम्पनी है और जेएसडब्ल्यूआईएल एक सामान्य टैक्स अदा करने वाली कम्पनी है अर्थात एसडब्ल्यूपीएल के लिए लागू टैक्स दर जेएसडब्ल्यूआईएल से कमतर है। परिवर्धित कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के माध्यम से एसडब्ल्यूपीएल की लागत पर जेएसडब्ल्यूआईएल के उच्चतर अर्जन अर्थात जेएसडब्ल्यू समूह के लिए उच्चतर टैक्स का होना।

(च). एसडब्ल्यूपीएल ने बाद में पत्र दिनांक 2 फरवरी 2011 द्वारा टर्मिनल में कार्यान्वित आउटसोर्सिंग क़ारा के लिए संशोधित क़रार दरें प्रमाणित करने के लिए अप्रैल 2010 से आगे 31 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के लिए एसडब्ल्यूपीएल में बर्थ सं. 5क और 6क में कोयला तथा स्टील के प्रहस्तन के लिए जिंदल स्टील वर्क्स द्वारा दिए गए बिलों की प्रतियों के साथ बिल का विवरण अग्रेषित किया गया था।

ग. विश्लेषणः

(क). एसडब्ल्यूपीएल ने अपने दरमान के प्रशुल्क संशोधन के दौरान अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त 2010 द्वारा कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए जेएसडब्ल्यूआईएल के साथ उसके द्वारा किए गए क़रार दिनांक 10 अप्रैल 2010 की प्रति प्रस्तुत की थी।

हालांकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा क़रार अप्रैल 2010 में किया गया था परन्तु इसके दरमान के संशोधन के लिए इसके पूर्ववर्ती संशोधित प्रस्ताव दिनांक 23 जून 2010 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रेषित गणनाओं से प्रकट होता है कि परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत का अनुमान लगाने के लिए संशोधित क़रार दरों को लेखा में नहीं लिया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने बर्थ सं. 6क में कोयला/कोक/चूनापत्थर के प्रहस्तन के लिए रु0 33/– टन और बर्थ सं. 5क में एचआर कोइलों/स्लैबों के प्रहस्तन के लिए रु0 78.50 टन की इकाई दर लागू करते हुए वर्ष 2010–11 के लिए इस लागत मद का अनुमान लगाया था और अनुवर्ती वर्षों के लिए इकाई दर में 3.76 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू की गई थी।

(ख). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए संशोधित क़रार दर का प्रभाव केवल इस आधार पर परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत का अनुमान लगाने के समय इस प्राधिकरण द्वारा सुविचारित नहीं किया गया था कि एसडब्ल्यूपीएल और जेएसडब्ल्यूआईएल के बीच उक्त

संव्यवहार का आमर्स लैंथ रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कोई साक्ष्य नहीं भेजा गया था। नवम्बर 2010 के आदेश में, आधार रूप में सीएचएलडी लेवी के लिए एमओपीटी को किए गए भुगतान के अलावा 2009–10 में प्रोद्भूत वास्तविक लागत को लेते हुए परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत का अनुमान लगाया गया है और यातायात वृद्धि के लिए समायोजित किया गया है तथा 3.76 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि स्वीकार की गई है।

(ग). समीक्षा आवेदन के साथ, एसडब्ल्यूपीएल और जेएसडब्ल्यूआईएल के बीच संव्यवहार का आमर्स लैंथ रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे। इसने निर्धारण वर्ष 2008–09 के लए आयकर निर्धारण की प्रति प्रस्तुत की है और कहा है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 (जेएसडब्ल्यूआईएल) क़रार के मूल्यनिर्धारण के संबंध में आयकर निर्धारण में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

इसने जयगढ़ पोर्ट द्वारा सितम्बर 2009 में जेएसडब्ल्यूआईएल को जारी किए गए कार्य आदेश की प्रतियां भेजी हैं जहां उद्धरित दरें आयात कार्गो (2 मिलियन टन प्रति वर्ष) के लिए मात्रा में वृद्धि के लिए स्लाइडिंग दरों के साथ रु0 40 प्रति टन और निर्यात कार्गो – स्टील कोइलें/स्लैब के प्रहस्तन के लिए रु0 75 प्रति टन हैं। संव्यवहार की आमर्स लैंथ प्रकृति के समर्थन में, इसने विज़ाग पोर्ट के लिए एसकेएस इस्पात तथा पावर और केआर सन्स प्रा0 लि0 के बीच असंबंधित तथा अनियंत्रित वेंडरों के आदेशों की प्रतियां भी भेजी गई थीं जो स्टीम कोयले के प्रहस्तन के लिए रु0 132 प्रति टन की दर दर्शाता है। नवम्बर 2010 की प्रशुल्क संशोधन कार्यवाहियों के दौरान एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रेषित एसडब्ल्यूपीएल में परिचालनों के लिए जेएसडब्ल्यूआईएल को अन्य वेंडरों द्वारा उद्धरित दरें कोयला/चूनापत्थर प्रहस्तन के लिए रु0 45.50 से 68 प्रति टन के बीच और स्टील कोइलों/स्लैबों के लिए रु0 108.50 से 118/– प्रति टन पाई गई हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इसने एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए भुगतान, जो 1 अप्रैल 2010 से संशोधित क़रार पर आधारित है, को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू संशोधित क़रार दर लागू करते हुए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दिए गए बिलों की प्रतियां भी भेजी है।

(घ). कार्गो प्रहस्तन परिचालन की आउटसोर्सिंग के लिए एसडब्ल्यूपीएल और जेएसडब्ल्यूआईएल के बीच हुए संव्यवहार का आमर्स लैंथ रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अब प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विश्वास करते हुए, यह नवम्बर 2010 के पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित लागत की इस मद की समीक्षा का मामला है।

(ङ). वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर के अनुमान 1 अप्रैल 2010 से लागू संशोधित क़रार दर अर्थात कोयला/चूनापत्थर प्रहस्तन के लिए रु0 40/– टन और एचआर कोइल स्लैबों के लिए रु0 90/– टन के आधार पर संशोधित किए गए हैं। क़रार के अनुसार, संशोधित दर तीन वर्षों के लिए प्रभावी हैं इसलिए इकाई दर लागत का अनुमान लगाने के लिए अन्यथा सुविचारित किसी वार्षिक वृद्धि के बिना सभी तीन वर्षों के लिए एकसमान रूप से लागू की गई है। इस प्रयोजन के लिए, वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए अनुमानित थ्रुपुट नवम्बर 2010 के पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित स्तर पर व्यवस्थित किया गया है।

(च). इस प्रकार संशोधित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत नवम्बर 2010 के प्रशुल्क आदेश में सुविचारित रु0 1444 लाख, रु0 1602 लाख और रु0 1876 लाख के स्थान पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए रु0 1990 लाख, रु0 2160 लाख और रु0 2425 लाख है।

(iii). अनुवर्ती अवधियों में अधिशेष के समायोजनः

क. पूर्व अधिशेष के समायोजन और आदेश के अनुच्छेद 14.3 से संबंधित कार्यालय आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2010 से संबंधित प्रासंगिक भाग पैरा 13(v) (च)] और पैरा 13 (vi) (क), (ख)

पूर्व अधिशेष का समायोजन पैरा 13 (v) (च)

(च). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ के अनुसार वित्तीय निष्पादन में भिन्नता +/(–) 20 प्रतिशत से ज्यादा पाई गई है। इसलिए, प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के अनुसार, 2007–08 से 2009–10 अवधि के दौरान अर्जित अधिशेष का 50 प्रतिशत इस प्रशुल्क चक्र में समायोजन के लिए

सुविचारित किया गया है। संयोगवश, एसडब्ल्यूपीएल ने स्वयं ही अगले 3 वर्षों में पूर्व अधिशेष के 50 प्रतिशत समायोजन का प्रस्तावि किया है। हमारे विश्लेषण के आधार पर, तथापि, समायोजन के लिए प्रस्तावित पूर्व अधिशेष की मात्रा में बदलाव किया गया है।

पैरा 13*(vi) (क)* और *(ख)*

(क). *पिछली प्रशुल्क समीक्षा में, (तत्कालीन) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004–05 से 2006–07 के लिए अधिशेष रु0 431 लाख पर निर्धारित किया गया था जो वर्ष 2004–05 और 2005–06 के लिए प्रतिवेदित वास्तविक स्थिति और वर्ष 2006–07 के अनुमानों पर आधारित था, परन्तु इस शर्त के अधीन कि वर्ष 2006–07 के वास्तविक आंकड़ों की अगले प्रशुल्क चक्र में समीक्षा की जाएगी और यदि भिन्नता प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित स्तर से ज्यादा रहता है तो अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित किया जाएगा। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 2006–07 की समग्र समीक्षा पिछले प्रशुल्क संशोधन में निर्धारित रु0 2002 लाख के घाटे के विपरीत रु0 1089 लाख का अधिशेष दर्शाता है। वर्ष 2006–07 के अनुमानों पर विश्वास करते हुए वर्ष 2004–06 से 2006–07 के लिए निर्धारित निवल लाभ पिछले प्रशुल्क आदेश में निर्धारित रु0 432 लाख के विपरीत रु0 3523 लाख रहेगा और प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है। 2006–07 के अनुमानों पर विश्वास करते हुए एसडब्ल्यूपीएल को प्रोद्भूत निवल भिन्नक लाभ के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े रु0 3091 लाख है। जैसाकि पिछले प्रशुल्क में उल्लेख किया गया है और 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, उसका 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 1545.50 लाख समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है।*

(ख). संक्षेप में, मौजूदा प्रशुल्क चक्र में समायोजन के लिए सुविचारित वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिए निवल अधिशेष निम्नवत् हैः

(रु0 लाखों में)

वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अर्जित निवल अधिशेष का जोड़ (15 प्रतिशत की नियोजित पूंजी पर स्वीकार्य प्रतिलाभ स्वीकृत करने के बाद)	*2007-08*	*1317*	*3960*
	2008-09	*1370*	
	2009-10	*1273*	
सितम्बर 2004 आदेश में निर्णय से आने वाले वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर वर्ष 2006–07 में अर्जित निवल लाभ			*3091*
भविष्य प्रशुल्क चक्र में समायोजन के लिए कुल अधिशेष			***7051***
मौजूदा प्रशुल्क चक्र में तीन वर्षों में समायोजित पूर्व अवधि 2006–07 से 2009–10 से संबंधित निवल अधिशेष का 50 प्रतिशत			*3525.40*

<u>आदेश का पैरा 14.3</u>

14.3. एसडब्ल्यूपीएल का प्रशुल्क परिचालक द्वारा प्रेषित सूचना पर विश्वास करते हुए और विश्लेषण में यथा स्पष्ट किए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय इस प्राधिकरण को ऐसा लगता है कि वास्तविक स्थिति सुविचारित अनुमानों से काफी भिन्न है अथवा यहां पर स्वीकार किए अनुमानों से विपथन है, तो एसडब्ल्यूपीएल से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने प्रशुल्क की समीक्षा के लिए समय से पहले प्रस्ताव दाखिल करे और संशोधित प्रशुल्क में ऐसी भिन्नताओं के लेखा पर प्रोद्भूत लाभ को पूर्णतः समयोजित किया जाए।

ख. समीक्षा आवेदन में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आवेदन

(क). आदेश के पैरा 14.3 में यह कहा गया है कि एसडब्ल्यूपीएल को प्रोद्भूत लाभ अगले प्रशुल्क चक्र के लिए प्रशुल्क पर निर्णय लेते समय पूर्णतः समायोजित किया जाना चाहिए जोकि 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.13 से विपरीत है। इसके अलावा, खंड 2.4.1 में भी बताया गया है कि अनुवर्ती प्रशुल्क निर्धारण में लागत कटौती के लेखा पर अधिकतम संभव समायोजन इस प्रकार सृजित अधिशेष का 50 प्रतिशत है।

(ख). हालांकि इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क निर्धारित करते समय समायोजन किए हैं, परन्तु आदेश में कई जगह यह उल्लेख किया गया है कि सृजित अधिशेष का 100 प्रतिशत अनुवर्ती प्रशुल्क निर्धारण सुविचारित

किया जाएगा जोकि टीएएमपी दिशानिर्देशों के विपरीत है और अधिशेष, यदि कोई हो, केवल 50 प्रतिशत की सीमा तक समायोजित किया जा सकता है, जैसा टीएएमपी दिशानिर्देशों में दर्शाया गया है।

ग. विश्लेषण

(क). जैसाकि एमओपीटी द्वारा सही कहा गया है और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा स्वीकार किया गया है, पूर्व अधिशेष का 50 प्रतिशत ही तीन वर्षों के प्रशुल्क चक्र में नवम्बर 2010 में समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है। यह 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के अनुसार है।

(ख). प्रशुल्क आदेश में कई स्थानों पर किए गए अगले प्रशुल्क संशोधन में संपूर्ण अतिरिक्त प्रोद्भूत के समायोजन संबंधी उल्लेख केवल कुछ अनुमानों के संबंध में है जो एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रतिवेदित के आधार पर स्वीकृत किए गए हैं अथवा सत्यापन के लिए बिना किसी गुंजाइश के विशेष अनुमान पर आधारित है। अगली प्रशुल्क समीक्षा में संपूर्ण प्रोद्भूत के समायोजन के बारे में आदेश में उल्लिखित इन मदों का सार नीचे दिया गया हैः

(i). आदेश का पैरा 13 (xv): अनुरक्षण निकर्षण लागत मामले में, मुरूगांव पत्तन न्यास और एसडब्ल्यूपीएल के बीच कुछ विवाद है और यह मामला मध्यस्थ को भेजा गया है और निपटान के लिए अभी तक लंबित है। आदेश में बताया गया है कि एमओपीटी द्वारा दिए गए बिल के आधार पर वर्ष 2010–11 के लिए अनुमानित अनुरक्षण निकर्षण लागत पूर्व वास्तविक आंकड़ों से उच्चतर है। इसलिए व्यय की इस मद को स्वीकार करते समय, यह उल्लेख किया गया है कि अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय, यदि यह पाया जाता है कि एमओपीटी को प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक लागत इस विश्लेषण में सुविचारित अनुमानों की अपेक्षा कम है अथवा चल रही मध्यस्थता कार्यवाही का निर्णय इस विश्लेषण में लगाए गए अनुमान से भिन्न रहता है तो आदेश में सुविचारित अधिक अनुमान पूर्णतः समायोजित किए जाएंगे। [(संदर्भ आदेश का पैरा (xv)].

(ii). आदेश का पैरा (ix)(क): उक्त पैरा में बताए गए कुछ संदेह 2009–10 के लिए वास्तविक बर्थ किराया आय पर अभी तक बने हुए हैं क्योंकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रेषित उत्पादकता पैरामीटरों को अंगीकृत करते हुए इसका मिलान नहीं किया जा सकेगा। चूंकि विश्लेषण में अनुमानित बर्थ किराया आय पूरी तरह से पोत पैरामीटरों और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रेषित उत्पादकता पर विश्वास करते हुए है, इसलिए यह बताया गया है कि यदि अगले प्रशुल्क संशोधन के समय, पैरामीटरों के वास्तविक आंकड़े जिनपर बर्थ किराये का अनुमान लगाने के लिए विश्वास किया गया है काफी भिन्न पाए जाते हैं तो अतिरिक्त राजस्व प्रोद्भूत अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(iii). आदेश का पैरा (xxiv): यह निर्णय दिया गया है कि वर्ष 2012–13 में होने वाले घाटे को प्रस्तावित अतिरिक्त परिसंपत्तियों अर्थात चालित वैगन लदाई प्रणाली, संबंधित परिसंपत्तियों के साथ एकल रेल लाइन, रिक्लेमर तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 की शुरूआत में लगाए जाने के लिए परिकल्पित 2 जलयान अनलोडरों को बदलने के वित्तीय प्रभाव द्वारा सहयोग किया गया है। इसलिए, आदेश में बताया गया है कि यदि ये परिसंपत्तियां विश्लेषण में यथा परिकल्पित शुरू नहीं की जाती हैं तो एसडब्ल्यूपीएल प्रशुल्क की समीक्षा से पहले वर्ष 2010–11 और 2011–12 में प्रोद्भूत अधिशेष को विधिवत् समायोजित करते हुए किया जाएगा।

इस प्रकार, उपर्युक्त विशिष्ट मामलों में जहां विश्लेषण में सुविचारित पूर्वानुमान/अनुमानों पर कुछ संदेह है, आदेश में बताया गया है कि यदि अनुमान लगाने के लिए विश्वास किए गए पैरामीटरों/अनुमानों को अगली समीक्षा के समय काफी भिन्न पाया जाता है तो उससे प्रोद्भूत होने वाला अतिरिक्त राजस्व अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजन किया जाएगा।

(ग). एसडब्ल्यूपीएल आदेश के पैरा 14.3 में विनिर्दिष्ट के संबंध में, यह सभी महापत्तन न्यासों एवं वहां पर परिचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क आदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया मानक पैरा है। उक्त पैरा एसडब्ल्यूपीएल के पूर्व–संशोधित प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी/19/2006–एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 29 दिसम्बर 2006 में भी निर्धारित किया गया है।

यह स्वीकार करना होगा कि प्रशुल्क पत्तन/परिचालकों द्वारा प्रेषित सूचना पर विश्वास करते हुए निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न अनुमानों पर आधारित हैं। इसलिए महापत्तन न्यासों/निजी टर्मिनलों

के सभी सामान्य संशोधन आदेशों में मानक विनिर्दिष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वास्तविक स्थिति सुविचारित अनुमानों से काफी भिन्न है अथवा यहां स्वीकार किए गए अनुमानों से विपथन है तो पत्तन/परिचालक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने प्रशुल्क की समीक्षा के समय से पहले प्रस्ताव दाखिल करे और संशोधित आदेश में ऐसी भिन्नताओं के लेखा पर प्रोद्भूत लाभ को पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

आदेश के पैरा 14.3 में निर्धारण केवल ऐसी आपवादिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है जब एसडब्ल्यूपीएल उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन नहीं करने का चयन करता है।

इस प्रकार, पूर्ववर्ती निर्णय की समीक्षा की मांग करते हुए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा उल्लिखित रिकार्ड में कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाए कि प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के प्रावधान सामान्य परिस्थितियों में अनुसरित किए जाएंगे जब विश्वास किए गए अनुमानों के संदर्भ में निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि की समाप्ति पर एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाती है सिवाय कुछ मामलों के जिनके कारण आदेश में बताए गए हैं।

11.1. ऊपर दिए गए विश्लेषण के आलोक में, नवम्बर 2010 के प्रशुल्क आदेश में सुविचारित अनुमानित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत संशोधित की गई है। चूंकि समीक्षा की मांग केवल परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत के मामले में की गई थी, इसलिए अनुमानों की सभी अन्य मदों को नवम्बर 2010 आदेश में सुविचारित स्तर पर बनाए रखा गया है। इसका अर्थ है कि लागत विवरण में सुविचारित आय अनुमान तत्कालीन प्रचलित दरों अर्थात दिसम्बर 2006 के दरमान के संदर्भ में है। पूर्व–संशोधित प्रशुल्क स्तर अर्थात दिसम्बर 2006 आदेश में लागत स्थिति निम्नवत् हैः

(रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
(i).	नवम्बर 2010 प्रशुल्क आदेश में निर्धारित अनुलग्नक I (क) के अनुसार समग्र निवल अधिशेष/घाटा	877	1251	(-)398	1730
(ii).	नवम्बर 2010 के प्रशुल्क आदेश में अनुमानित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत [क्र.सं. II (i)]	1444	1602	1876	4922
(iii).	संशोधित क़रार दर के अनुसार संशोधित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत	1990	2160	2425	6575
(iv).	संशोधित परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर लागत का प्रभाव (iii – ii)	546	558	549	1653
(v).	संशोधित निवल अधिशेष/घाटा (i-iv)	330	693	(-)947	76
(vi).	निवल अधिशेष/घाटा परिचालन आय के प्रतिशत रूप में	4.1%	8.2%	(-)9.9%	0.3%

11.2. समेकित लागत विवरण और मुख्य गतिविधि–वार लागत विवरण उस सीमा तक संशोधित किया गया है और [अनुलग्नक **- I** **(क)** से **(ग)**] रूप में संलग्न किया गया हैं। संशोधित लागत विवरण द्वारा प्रकट किए गए परिणामों की सारबद्ध स्थिति नीचे तालिकाबद्ध की गई हैः

क्र.सं.	विवरण	परिचालन आय (रु0 लाखों में)				निवल अधिशेष (+)/घाटा (–) (रु0 लाखों में)				निवल अधिशेष (+)/घाटा (–) परिचालन आय के प्रतिशत रूप में			औसत अधिशेष/घाटा %
		2010-11	2011-12	2012-13	Total	2010-11	2011-12	2012-13	Total	2010-11	2011-12	2012-13	
1.	समग्र टर्मिनल के लिए समेकित लागत विवरण	7990	8459	9599	26048	330	693	(-)947	76	4.1%	8.2%	(-)9.9%	0.3%
2.	कार्गो प्रहस्तन गतिविधि	5959	6338	7188	19485	455	723	(-)1241	(-)63	7.6%	11.4%	(-)17.3%	(-)0.3%
3.	बर्थ किराया गतिविधि	2031	2121	2411	6562	(-)124	(-)30	294	139	(-)6.1%	(-)1.4%	12.2%	2.1%

11.3. संशोधित लागत विवरण वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए रु0 76 लाख का समग्र अधिशेष दर्शाता है और प्रतिशत रूप में 0.3 प्रतिशत है। जैसाकि पहले बताया गया है, लागत विवरण में दर्शाया गया उक्त अधिशेष दिसम्बर 2006 में अनुमोदित प्रशुल्क पर वसूलीयोग्य परिचालन आय के संदर्भ में है। यहां पर यह उल्लेख किया गया है कि नवम्बर 2010 आदेश में की गई प्रशुल्क में 9.5 प्रतिशत की कटौती का प्रभाव लागत विवरण में सुविचारित नहीं किया गया है। मौजूदा समीक्षा आवेदन के आधार पर 2010–11 से

2012–13 अवधि के लिए अनुमानित रु0 76 लाख का कुल अधिशेष प्रकट नहीं होता है यदि उक्त अवधि के लिए कम किए गए प्रशुल्क के परिचालन के राजस्व प्रभाव पर विचार किया जाता है। सही स्थिति का मूल्यांकन अगले प्रशुल्क चक्र में वास्तविक प्रत्यक्ष/वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करते समय किया जा सकेगा। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनज़र, एसडब्ल्यूपीएल का प्रशुल्क नवम्बर 2010 आदेश के संशोधन से पहले प्रचलित स्तर अर्थात 29 दिसम्बर 2006 के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित स्तर पर पर निर्धारित किया जाता है।

11.4. एसडब्ल्यूपीएल ने भिन्न–भिन्न बिल की वसूली के लिए पोत एजेंटों द्वारा अभिव्यक्त की गई मुश्किल को उद्धरित करते हुए भावी प्रभाव से इसकी समीक्षा के संदर्भ में निर्णय को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। ऐसी स्थिति में, इस आदेश को भावी प्रभाव दिया गया है जैसाकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुरोध किया गया है। जैसाकि पहले बताया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा की गई प्रशुल्क में कटौती का प्रभाव जो 1 जनवरी 2011 से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है, समीक्षा कार्यवाहियों के हिस्से के रूप में सुविचारित किया गया है। अगले प्रशुल्क चक्र के दौरान वास्तविक प्रत्यक्ष/वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करते समय इसका विश्लेषण किया जाएगा।

11.5. साधारणतः इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख के 30 दिनों बाद कार्यान्वित होता है। मौजूदा मामले में क्योंकि समीक्षा नवम्बर 2010 आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा की गई 9.5 प्रतिशत कटौती के विपरीत 2006 प्रशुल्क में यथास्थिति बनाए रखने की मांगी करती है, इसलिए संशोधित दरमान को राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी बनाया गया है।

12. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण अनुलग्नक–**II** रूप में संलग्न किए गए एसडब्ल्यूपीएल के संशोधित दरमान को अनुमोदित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

अनुलग्नक - I (क)

साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड का समेकित लागत विवरण

रु0 लाखों में

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आंकड़े			दिसम्बर 2006 आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित			टीएएमपी द्वारा संशोधित एसडब्ल्यूपीएल के अनुमान		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	यातायात (मी.ट. में)	4.40	4.63	4.32	4.35	4.65	5.25	4.35	4.65	5.25
	क्षमता उपयोगिता	88.0%	92.6%	86.5%	87.0%	93.0%	105.0%	87.0%	93.0%	105.0%
I	**कुल परिचालन लागत**									
	(1) कार्गो प्रहस्तन आय	6,838	6,663	6,297	5,925	6,309	7,145	5,958	6,337	7,187
	(2)पोत संबंधित आय	2,498	2,924	2,919	2,046	2,174	2,462	2,031	2,121	2,411
	(3) अन्य आय	3	1	54				1.50	1.50	1.50
	जोड (1 से 3)	**9,339**	**9,588**	**9,270**	**7,971**	**8,483**	**9,606**	**7,990**	**8,459**	**9,599**
II	**परिचालन लागतें**									
	(1) परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर	1,462	1,462	1,382	1,663	1,877	2,188	1,990	2,160	2,425
	(2) मरम्मतें तथा अनुरक्षण	248	471	371	511	692	728	392	408	548
	(3) उपस्कर चालन लागतें	405	433	412	670	636	647	447	504	655
	(4) अनुरक्षण निकर्षण	7	37	26	147	153	158	147	152	158
	(5) रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	896	873	825	776	826	936	780	830	941
	(6) पत्तन को पट्टा किराये	226	237	335	352	369	388	352	369	388
	(7) बीमा	98	132	122	140	147	181	143	143	181
	(8) अन्य व्यय	12	21	23	24	25	26	24	25	26
	जोड़ (1 से 8)	**3,352**	**3,665**	**3,496**	**4,282**	**4,726**	**5,252**	**4,275**	**4,592**	**5,322**
III	**मूल्यहृास**	1,448	1,521	1,546	1,585	1,889	2,250	1,583	1,588	2,261
IV	**उपरिव्यय**									
	(1) प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय	344	418	521	573	630	693	541	561	582
	(2) सामान्य उपरिव्यय	50	63	84	87	90	94	87	90	94
	(3) प्रारंभिक एवं अपफ्रंट भुगतान राइट–ऑफ	37	37	37	10	10	10	37	37	37
	जोड़ (1 से 3)	**431**	**518**	**642**	**670**	**730**	**797**	**665**	**688**	**713**
	कुल व्यय	**5,231**	**5,705**	**5,684**	**6,537**	**7,345**	**8,299**	**6,523**	**6,868**	**8,296**
V	**परिचालन अधिशेष/(घाटा) . (1–2–3–4)**	4,107	3,884	3,586	1,434	1,138	1,308	1,467	1,591	1,303
VI	वित्त एवं विविध आय (एफएमआई)									
	(1) अन्य आय	5	65.53	45.44	-	-	-	-	-	-
	(2) परियोजना अवधि की समाप्ति पर वापसी–योग्य प्रतिभूति जमा की जमा वापसी	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.46	0.51	0.57
	उपजोड़ एफएमआई	5.12	65.93	45.84	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
VII	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	एफएमआई घटाव एफएमई (6 – 7)	5.1	65.9	45.8	0.2	0.2	0.2	(0.5)	(0.5)	(0.6)
IX	**अधिशेष/घाटा**	**4,112**	**3,949**	**3,632**	**1,434**	**1,138**	**1,308**	**1,468**	**1,591**	**1,304**
X	निवल नियोजित पूंजी	18,639	17,197	15,723	19,043	24,267	23,717	14,457	12,962	21,411

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आंकड़े			दिसम्बर 2006 आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित			टीएएमपी द्वारा संशोधित एसडब्ल्यूपीएल के अनुमान		
		2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
XI	पिछले आदेश के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए 15 प्रतिशत की दर से पूर्व अवधि हेतु आरओसीई, मौजूदा कार्यवाही में 16 प्रतिशत की दर से आरओसीई	2,796	2,580	2,358	3,047	3,883	3,795	2,313	2,074	3,426
XII	क्षमता उपयोगिता के लिए समायोजित आरओसीई	2,796	2,580	2,358	3,047	3,883	3,795	2,313	2,074	3,426
XIII	**निवल अधिशेष / (घाटा) (9–12)**	**1,317**	**1,370**	**1,273**	**(1,613)**	**(2,744)**	**(2,487)**	**(845.29)**	**(482)**	**(2,122)**
XV	वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर वर्ष 2006–07 के लिए कुल अधिशेष के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 2007–08 से 2009–10 में प्रोद्भूत अधिशेष और पिछले आदेश में सुविचारित अनुमान							7,051		
XVI	समायोजन के लिए सुविचारित वर्ष 2006–07 और 2007–08 से 2009–10 के लिए अधिशेष का 50 प्रतिशत (एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए मूल्यांकित अधिशेष के 50 प्रतिशत को समायोजित करने पर विचार किया है)				1,488			3,525.4		
XVII	तीन वर्षों में प्रोद्भूत लाभ के 50 प्रतिशत का समायोजन				248	248	248	1,175.12	1,175.12	1,175.12
XVIII	**निवल अधिशेष / (घाटा) पूर्व अधिशेष के समायोजन के बाद**				**(1,365)**	**(2,496)**	**(2,239)**	**330**	**693**	**(947)**
XIX	**निवल अधिशेष / (घाटा) परिचालन आय के प्रतिशत रूप में**				-17%	-29%	-23%	4.1%	8.2%	-9.9%
XX	**औसत निवल अधिशेष / घाटा वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लिए**					***-23%***			**0.3%**	

कार्गो प्रहस्तन गतिविधि के लिए लागत विवरण

रु0 लाखों में

क्र.सं.	विवरण	दिसम्बर 2006 आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित			टीएएमपी द्वारा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	कार्गो	4.35	4.65	5.25	4.35	4.65	5.25
I	**परिचालन आय**						
	कार्गो प्रहस्तन आय	5,925	6,309	7,145	5,958	6,337	7,187
	अन्य आय	-	-	-	1.50	1.50	1.50
	परिचालन आय	**5,925**	**6,309**	**7,145**	**5959**	**6338**	**7188**
II	**प्रत्यक्ष परिचालन व्यय**						
	(i). परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर	1,593	1,770	2,077	1,920	2,036	2,302
	(ii). मरम्मत और अनुरक्षण + लेबर	361	542	578	292	308	448
	(iii). उपस्कर चालन लागतें	670	636	647	447	504	655
	(iv). रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	776	826	936	780	830	941
	(v). रियायत क़रार के अनुसार पट्टा किराये	140	147	154	140	147	154
	(vi). बीमा	79	99	123	82	95	123
	(vii). अन्य व्यय	24	25	26	24	25	26
	जोड़	**3,643**	**4,045**	**4,541**	**3,686**	**3,945**	**4,650**
III	मूल्यह्रास	1,164	1,468	1,829	1,162	1,167	1,840
IV	उपरिव्ययों का आबंटित हिस्सा						
	(i). प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय	426	469	516	402	417	433
	(ii). सामान्य उपरिव्यय	65	67	70	65	67	70
	(iii). प्रारंभिक व्यय तथा अपफ्रंट भुगतान राइट–ऑफ	10	10	10	37	37	37
	जोड़	**500**	**545**	**595**	**503**	**521**	**539**
V	परिचालन अधिशेष (I) – (II) – (III) - (IV)	**619**	**250**	**180**	**608**	**705**	**159**
VI	प्रतिभूति जमा की क्रेडिट वापसी	-	-	-	0.46	0.51	0.57
VII	**अधिशेष/घाटा**	**619**	**250**	**180**	**609**	**705**	**160**
VIII	गतिविधि के लिए नियोजित पूंजी	10,702	16,325	16,148	6,459	5,384	14,245
IX	आरओसीई – अधिकतम स्वीकार्य (16%)	1,712	2,612	2,584	1,033	861	2,279
X	क्षमता उपयोगिता के लिए समायोजित आरओसीई	1,712	2,612	2,584	1,033	861	2,279
XI	**निवल अधिशेष/(घाटा) (VII) - (X)**	**(1,094)**	**(2,362)**	**(2,404)**	**(424)**	**(156)**	**(2,119)**
XII	हमारे द्वारा समायोजन के लिए सुविारित 2006–07 और 2007–08 से 2009–10 में प्रोद्भूत अधिशेष/घाटा। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने द्वारा निर्धाथ्रत अधिशेष को वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए समायोजित करने पर विचार किया है।		***628***		2,636		
XIII	2010–11 से शुरू होकर तीन वर्षों में प्रोद्भूत लाभ का समायोजन	105	105	105	879	879	879
XIV	**निवल अधिशेष/(घाटा) पूर्व अधिशेष के समायोजन के बाद**	**(989)**	**(2,257)**	**(2,299)**	**455**	**723**	**(1,241)**
XV	**निवल अधिशेष/(घाटा) परिचालन आय के प्रतिशत रूप में**	-16.7%	-35.8%	-32.2%	7.6%	11.4%	-17.3%
XVI	**औसत निवल अधिशेष/घाटा वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लिए**		**-28%**			**-0.3%**	

बर्थ किराया गतिविधि के लिए लागत विवरण

रु0 लाखों में

क्र.सं.	विवरण	दिसम्बर 2006 आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित			टीएएमपी द्वारा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
I	**परिचालन आय**						
	बर्थ किराया	2046	2174	2462	2031	2121	2411
	कुल राजस्व	**2,046**	**2,174**	**2,462**	**2,031**	**2,121**	**2,411**
II	**प्रत्यक्ष परिचालन व्यय**						
	(i). परिचालन तथा प्रत्यक्ष लेबर	70	108	111	70	124	123
	(ii). मरम्मतें तथा अनुरक्षण लेबर सहित	150	150	150	100	100	100
	(iii). अनुरक्षण निकर्षण	147	153	158	147	152	158
	(iv). रियायत क़रार के अनुसार देय पट्टा किराये (जल क्षेत्र 60500 वर्ग मी)	211	222	233	211	222	233
	(v). बीमा	61	48	58	61	48	58
	जोड़	**640**	**681**	**711**	**590**	**647**	**672**
III	मूल्यह्रास	421	421	421	421	421	421
IV	उपरिव्ययों का आबंटित हिस्सा						
	(i). प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय	147	162	178	139	144	149
	(ii). सामान्य उपरिव्यय	22	23	24	22	23	24
	कुल	**169**	**185**	**202**	**161**	**167**	**173**
	कुल व्यय						
V	**परिचालन अधिशेष/(घाटा) (I) – (II) – (III) - (IV)**	**816**	**888**	**1128**	**859**	**886**	**1144**
VI	आबंटित एफएमई घटाव एफएमआई	0	0	0	0	0	0
VII	**अधिशेष/घाटा**	**816**	**888**	**1128**	**859**	**886**	**1144**
VIII	गतिविधि के लिए नियोजित पूंजी	8339	7940	7567	7998	7579	7166
IX	आरओसीई – अधिकतम स्वीकार्य (16%)	1334	1270	1211	1280	1213	1146
X	क्षमता उपयोगिता के लिए समायोजित आरओसीई	1334	1270	1211	1280	1213	1146
XI	**निवल अधिशेष/(घाटा) (VII) - (X)**	**(519)**	**(383)**	**(83)**	**(421)**	**(327)**	**(3)**
XII	हमारे द्वारा समायोजन के लिए सुविरित 2006–07 और 2007–08 से 2009–10 में प्रोद्भूत अधिशेष/घाटा। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने द्वारा निर्धाथ्रत अधिशेष को वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए समायोजित करने पर विचार किया है।		***860***		889		
XIII	2010–11 से शुरू होकर तीन वर्षों में प्रोद्भूत लाभ का समायोजन	143	143	143	296	296	296
XIV	**निवल अधिशेष/(घाटा) पूर्व अधिशेष के समायोजन के बाद**	**(375)**	**(239)**	**61**	**(124)**	**(30)**	**294**
XV	**निवल अधिशेष/(घाटा) परिचालन आय के प्रतिशत रूप में**	**-18.3%**	**-11.0%**	**2.5%**	**-6.1%**	**-1.4%**	**12.2%**
XVI	**औसत निवल अधिशेष/घाटा वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लिए**		**-9.0%**			**2.1%**	